कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निमाण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा
E-mail-eecdalmorapwd@rediffmail.com

पत्रांक– 1466 /3सी. (व.भूमि)

दिनांक 19/05/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम,
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषयः– **जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में।**
संदर्भः– **आपका पत्रांक 2681/12–1, दिनांक 24/01/2025**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि सी.ए. स्थल का आर.सी.सी. पिलर द्वारा सीमांकन कर लिया गया है तथा सी.ए. भूमि के वन विभाग के कब्जे में लिये जाने का प्रमाण–पत्र, खतौनी तथा अमलदरामद की प्रति संलग्न कर उक्त कार्य की सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पुनः प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– **कब्जा प्रमाण–पत्र, खतौनी तथा अमलदरामद प्रति,**
अनुपालन आख्या 6 प्रति मूल में।

O/C

(इं0 विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,अल्मोड़ा

पत्रांक 1466 /3सी.(व.भू.) दिनांकित।

प्रतिलिपि– सहायक अभियंता।, नि.ख., लो.नि.वि., अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– समस्त अमीन, नि.ख., लो.नि.वि., अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– वनभूमि सहायक, नि.ख., लो.नि.वि., अल्मोड़ा को पत्रावली हेतु प्रेषित।

19/05/2025

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

O/C

O/C

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निमाण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा
E-mail-eecdalmorapwd@rediffmail.com

पत्रांक 216 /3सी. (व.भूमि) दिनांक 18/01/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.705 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/10393/2015)

सन्दर्भ– भारत सरकार का पत्र सं0 –8बी0/यू0सी0पी/06/ 124/ 2015/ एफ0सी0/ 1524 दिनांक–08.10.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत है:–

A - बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

1– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.4100 है0 ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 1– प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.410 है0 ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गयी है। भूमि का हस्तान्तण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
2– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की गणना की एक प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 2– प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7,64,800.00 (सात लाख चौसठ हजार आठ सो मात्र) तथा एन0पी0वी0 हेतु 25,39,995.00 (पच्चीस लाख उनचालीस हजार नौ सो पिचानब्बे मात्र) की धनराशि तथा रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु 11,28,300.00 (ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ मात्र) लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2016 को जमा कर दी गयी है।
3– शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या 3– प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 04.01.2025 को जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
4– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल,सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1,लोधी रोड, नई दिल्ली में जमा कराया जाय एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाय।	शर्त संख्या 4– प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7,64,800.00 (सात लाख चौसठ हजार आठ सो मात्र) तथा एन0पी0वी0 हेतु 25,39,995.00 (पच्चीस लाख उनचालीस हजार नौ सो पिचानब्बे मात्र) तथा मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण की धनराशि रू0 11,28,300.00 (ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार तीन सो मात्र) तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा आनलाईन कैम्पा में जमा कर दी गयी है। (चालना की प्रति संलग्न)

5– मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर सड़क के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	**शर्त संख्या 5**– प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

B - सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत् है–

क्र	अधिरोपित	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	**शर्त सं0 –1** के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन0पी0बी0 देने के लिए बाध्य होगा।	**शर्त संख्या 2**– प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 04.01.2025 को जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
3	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.41 है0 सिविल एवं सोयम भूमि को छ' माह के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	**शर्त संख्या 3**– उक्त बिन्दु का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	**शर्त सं0–4** के अनुपालन में वन क्षेत्र के आस–पास कोई लेबर कैम्प विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचे।	**शर्त सं0–5** के अनुपालन में निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाती है तो निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
6	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।	**शर्त सं0–6** के अनुपालन में परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
7	वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	**शर्त सं0–7** के अनुपालन में वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8	कम से कम वृक्षों का कटान/ पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 529 से अधिक न हो।	**शर्त सं0–8** के अनुपालन में कम से कम वृक्षों का कटान/ पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 529 से अधिक नही है।

9	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जायेगा।	**शर्त सं0-9** के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित की जायेगी।
10	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलुवा नहीं फेंका जायेगा।	**शर्त सं0-10** के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलुवा नहीं फेंका जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	**शर्त सं0-11** के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	ऐसी कोई भी अन्य शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।	**शर्त सं0-12** उक्त बिन्दु के अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या को अपने स्तर से नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

18/01/2025

(इं0 विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,अल्मोड़ा

O/C

प्रतिलिपि-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरक्षक, इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः-जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः-अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि-वनभूमि सहायक, नि0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को पत्रावली हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,अल्मोड़ा

O/C

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 1)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.410 है0 ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गयी है। भूमि का हस्तान्तण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 2)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7,64,800.00 (सात लाख चौसठ हजार आठ सो मात्र) तथा एन0पी0वी0 हेतु 25,39,995.00 (पच्चीस लाख उनचालीस हजार नौ सो पिचानब्बे मात्र) की धनराशि तथा रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु 11,28,300.00 (ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ मात्र) लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2016 को जमा कर दी गयी है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 3) वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 04.01.2025 को जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

Akash अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	A.A.E. ~~कनिष्ठ~~ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 4)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7,64,800.00 (सात लाख चौसठ हजार आठ सो मात्र) तथा एन0पी0वी0 हेतु 25,39,995.00 (पच्चीस लाख उनचालीस हजार नौ सो पिचानब्बे मात्र) तथा मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण की धनराशि रू0 11,28,300.00 (ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार तीन सो मात्र) तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा आनलाईन कैम्पा में जमा कर दी गयी है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 5)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 1)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित कार्य हेतु अधिरोपित वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 2) वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 04.01.2025 को जमा कर दी गयी है।

Akash	A·A·E·		
अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 3)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 4)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि वन क्षेत्र के आस–पास कोई लेबर कैम्प विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 5)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाती है तो निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

Mehr Singh
Akash
अमीन
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

A.A.E.
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 6)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 7)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 8)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 529 से अधिक नही है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 9)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित की जायेगी।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 10)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलुवा नहीं फेंका जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 11)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 12)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बिन्दु का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाषः 0135–2750809,
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 124 / 2015 / एफ0सी0 / 1524

दिनांकः 8, 10, 2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद–अल्मोड़ा के अतंर्गत वरतोली से बानढ़ोक मोटर मार्ग (भाग–I) हेतु 2.705 है0 वन भूमि के लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक सख्या–346 / X-4–15 / 1(167) / 2015 दिनांक–21.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र एवं On Line Proposal No. FP/UK/ROAD/10393/2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे जिनकी अनुपालन online प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद–अल्मोड़ा के अतंर्गत वरतोली से बानढ़ोक मोटर मार्ग (भाग–I) हेतु 2.705 है0 वन भूमि के लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.4100 है0 ग्राम–कालून सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) गणना की एक प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर वढ़ोतरी होती है, तो वढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन वैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन वद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधियत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेपित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तव तक नहीं की जायेगी जव तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगीः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही वदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर वढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण वढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए वाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.4100 है0 भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोपित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रिय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 529 से अधिक न हो।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी कोई भी अन्य शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवम् वन्य जीवों के सरंक्षण हेतु आवश्यक समझें।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम0एस0 नेगी)
उप वन सरंक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरवाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम0एस0 नेगी)
उप वन सरंक्षक

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06./124/2025/एफ.सी./1524 दिनांक 08.10.2015 से अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में बरतोली से बानढौक मोटर मार्ग (भाग I) के निर्माण हेतु 2.705 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 5.4100 है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित करने के निर्देश के क्रम में पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 3962/ग्यारह–14/2015 दिनांक 03–03–2015 के द्वारा ग्राम कालनू, पटवारी क्षेत्र पाखुड़ा, तहसील रानीखेत के गै0ज0वि0ख0खा0संख्या–19/226 की श्रेणी–9(3)ड योग्य बंजर भूमि के पैमायशी खेत नं0–7230 रकबा 1.864 है0 एवं खेत नं0– 7237 मध्ये रकवा–0.841 है0 इस प्रकार कुल–2.705 है0 सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा द्वारा पत्र संख्या 3439/3सी0(व0भू0) दिनांक 08–10–2024 एव पत्र संख्या 3651/3सी0 व0भू0 दिनांक 30–11–2014 से उक्त जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानढौक मोटर मार्ग के निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 03–03–2015 के सापेक्ष 2.705 है0 सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत वरतोली से बानढौक मोटर मार्ग के निर्माण मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.705 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 5.4100 है0 सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या– 2173/XVIII (II)/2012-18 (120) /2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा याचक विभाग, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अनुरोध के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत द्वारा पत्र संख्या 228(मु0)/क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2024-25, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संस्तुति के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की खतौनी, खसरा, नक्शा एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06./124/2025/एफ.सी./1524 दिनांक 08–10–2015 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के आधार पर क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु पूर्व स्वीकृत 2.705 है0 भूमि के अतिरिक्त ग्राम कालनू, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत, जिला अल्मोडा के गैर ज0वि0 खतौनी खाता संख्या– 19/226 श्रेणी 9(3)ड. बंजर काबिल आबाद के खेत संख्या– 2092 मध्ये रकवा 2.705 है0 सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती हैं। तहसीलदार, रानीखेत तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 02 जनवरी, 2025

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–2194 /ग्यारह– 14/2015, दिनांक: 03 जनवरी, 2025

प्रतिलिपिः निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
5– तहसीलदार, रानीखेत को उक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु प्रेषित।
6– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

प्रति हस्ताक्षरित

सहायक अभियन्ता

नकल खतौनी गैर जमींदारी विनाश।

ग्राम कालनू   रा०उ०नि०क्षेत्र पाखुड़ा तहसील-रानीखेत जिला अल्मोड़ा।

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खेत संख्या	रकबा है०	विवरण
	श्रेणी 9(3)ड कृषि योग्य बंजर भूमि।			श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के आ०सं० 3960/ग्यारह-12-2015 दि० 3/3/2015 के ग्रा० कालनू पटवारी क्षेत्र पाखुड़ा. तहसील रानीखेत के गैर ज० वि० ख० खा० सं० 19/236 की श्रेणी 9(3)ड योग्य बंजर भूमि के पैमाइशी खेत नं० 7233 मध्ये कुल रकबा 1.333 हे० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित/नामांतरित की जाती है।
19/236	बंजर का आ.	2	0.388	
		4	0.429	
		9	0.050	
		16	0.098	
		↓ क्रमशः	↓ क्रमशः	↓ क्रमशः।
		2089	0.018	श्रीमान जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश संख्या 2194/ग्यारह-14/2015 दिनांक 3 जनवरी 2025 के अनुसार ग्राम-कालनू की गैर ज० वि० ख० खा० संख्या 19/226 श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आबाद के खेत संख्या 2092 मध्ये रकबा 2.705 हे० सिविल भूमि को बरतोली से बन्दे मोटरमार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित/नामांतरित की जाती है।
		2090	0.030	
		2092	9.306	
		2093	0.043	
		↓ क्रमशः	↓ क्रमशः	↓ क्रमशः।
		7238	1.029	मु० आ० नयाबाद नं० 152/370/539 सन 70-71 श्रीमान कुमाऊँ कमिश्नर दिनांक 15/5/72 के धनराम पु० नगराम को खेत नं० 3901 म० 5 नाली भूमि बगीचा हेतु स्वीकृत होने पर अमल दरामद ग्रान्ट के रूप में किया।
		7240	0.039	
		7249	1.055	
		7250	4.235	
	योग	492	116.146	

ह० 09/15/01/25
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...पाखुड़ा...........
तहसील.रानीखेत..(अल्मोड़ा)

प्रति लव्यापित
(हस्ताक्षर)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

कब्जे में लिए जाने का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग के निर्माण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम कालनू का क्षेत्र जो तीन खण्डो में प्राप्त हुआ है। प्रथम खण्ड 0.841है0, द्वितीय खण्ड 1.864है0, तृतीय खण्ड 2.705है0 कुल (5.410 है0) सिविल भूमि का लोक निर्माण विभाग अल्मोडा, राजस्व उपनिरीक्षक पाखुडा व वन विभाग के कर्मचारियो द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त प्रथम खण्ड (0.841है0), द्वितीय खण्ड (1.864 है0) तथा तृतीय खण्ड (2.705 है0) की अलग–अलग पिलरबंदी का कार्य करवा लिया गया है। उक्त भूमि को वन विभाग द्वारा कब्जे में ले लिया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी
रानीखेत वन क्षेत्र।

प्रति हस्ताक्षरित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
अल्मोड़ा

			(New)		PRINCIPLE (in Rs.)	Status	Payment Detail	Demand Letter
16	FP/UK/ROAD/9428/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9428/2015) kalauta motor road	ROAD94282015513	113942820151	28 Mar 2016	**CA:** 2849296/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 5808936/-, **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 8658232/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :07 Sep 2016 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** :Corporation Bank (Challan) **Challan Generated On** :07 Sep 2016 **Transaction Date** :28 Sep 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/911612381212Y6EMR2016090622939.pc Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD94282015513)
17	FP/UK/Others/10886/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/Others/10886/2015) Steel Girder Bridle Bridge of 20 m span at Airadhyo	OTHERS108862015118	199108862015118	14 May 2015	**CA:** 0/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 21409/-, **road side gap felling :** 161463/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 182872/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 19 Mar 2016 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 19 Mar 2016 **Transaction Date** : 31 Mar 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3111912291210EWHB8hhhhhhhhhhh.pd Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=OTHERS108862015118)
18	FP/UK/ROAD/10393/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10393/2015) Bartoli-Banthok Motor Road(Part I)	ROAD103932015418	1131039320154180	08 Oct 2015	**CA:** 764800/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 2539995/-, **road side gap felling :** 1128300/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 4433095/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 19 Mar 2016 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 19 Mar 2016 **Transaction Date** : 31 Mar 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/31119121412139AOB7bartoli.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD103932015418)

प्रति सत्यापित

बरतोली से बाड़ौकुनाक मो० मि०

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 19-03-2016

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
Application No.	ROAD103932015418
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD AlmoraAlmora
Amount(in Rs)	4433095/-

Amount In Words :Forty-Four Lakh Thirty-Three Thousand and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD103932015418
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

PIF No: ROAD10393201 54

Serial : 3

Corporation Bank

प्रति हस्ताक्षरित

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

AGENCY COPY

Union Bank

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 04-01-2025

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
PIF/Application No.	6110393671
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/124/2015-FC
Address.	Construction Division PWD Almora Almora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eecdalmorapwd@rediffmail.com 9759892120 5962-230091
Amount(in Rs)	957164/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words:Nine Lakh Fifty-Seven Thousand One Hundred and Sixty-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

Union Bank

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 04-01-2025

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
PIF/Application No.	6110393671
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/124/2015-FC
Address.	Construction Division PWD AlmoraAlmora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eecdalmorapwd@rediffmail.com 9759892120 5962-230091
Amount(in Rs)	957164/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words :Nine Lakh Fifty-Seven Thousand One Hundred and Sixty-Four Rupees Only

Union Bank Of India 5601 Almora Branch अल्मोड़ा

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdesl

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference

60160202501166889238

प्रान्त सहायक

FP/UK/ROAD/10393/2015 Bartoli-Banthok Motor Road(Part I)	ROAD103932015671	6110393671	08 Oct 2015	**CA:** 0/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 957164/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 957164/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 03 Jan 2025 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : Union Bank Of India (Challan) **Challan Generated On** : 09 Jan 2025 **Transaction Date** : 10 Jan 2025	Demand Letter

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०